एकादश वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15

दी राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि0,
बी–41, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर – 302015
Phone and Fax: 0141 – 2703226
Email ID: rafcubf@gmail.com
Website: rajucbfed.org.in

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

11th ANNUAL GENERAL MEETING

Thursday, 24th September, 2015

12-00 Noon

VENUE

HOTEL OM TOWER,

CHURCH ROAD, M.I.ROAD,

JAIPUR (RAJASTHAN)

Working Schedule

10.00 AM ONWARDS	–	Registration
10-30 AM To 11-00 P.M.	–	Break fast
11-00 AM To 12-00 P.M.	–	Presentation
12-00 Noon to 1-30 PM	-	AGM Proceedings
01-30 PM to 02-30 PM	-	Presentation
02-30 PM	–	LUNCH

RAFCUB
THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

एकादश वार्षिक आम सभा

(वर्ष 2014–15)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	संचालक मण्डल	1 – 2
2.	फेडरेशन एक दृष्टि में	3 – 5
3.	अध्यक्षीय उद्बोधन	6 – 9
4.	वार्षिक साधारण सभा की कार्य सूची	10
5.	विस्तृत ऐजेण्डा नोट्स	11 – 21

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

वर्तमान संचालक मण्डल

अध्यक्ष

श्री हरी गोपाल राठी	अध्यक्ष, जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जोधपुर	**9314244000** **9828135019**

संचालक

श्री राम प्रसाद अग्रवाल	अध्यक्ष, मालवीया अरबन को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर	**9414076870**
श्री रमेश आचार्य	अध्यक्ष, ब्यावर अरबन को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, ब्यावर	**9414278640**
श्री राजेश जैन	अध्यक्ष, बालोतरा अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालोतरा	**9414107888**
श्री इन्द्रमल सेठिया	अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ अरबन को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चित्तौडगढ़	**9414108966**
श्रीमती कीर्ति बोरदिया	अध्यक्षा, भीलवाड़ा महिला अरबन को–आपरेटिव बैंक लि0, भीलवाड़ा	**9414114875**
श्री मोहन पाराथर	अध्यक्ष, जालौर नागरिक सहकारी बैंक लि0, जालौर	**9414152896**
श्रीमती मोहरबाई मीणा	उपाध्यक्ष, आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सिरोही	
श्री उमा शंकर शर्मा	अध्यक्ष, भरतपुर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, भरतपुर	**9413354120**
श्री सत्येश शर्मा	अध्यक्ष, बूंदी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, बूंदी	**9414176161**
श्री के. के. गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक, दि राजस्थान स्टेट को–ऑप. बैंक लि., जयपुर	**9799298132**

सहवृत्त सदस्य

श्री सोहन लाल कवाड़	अध्यक्ष, पाली अरबन को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली	**9414121840**
श्री आशिक हुसैन नवानिया	अध्यक्ष, उदयपुर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, उदयपुर	**9352510727**

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री वी.के.त्रिवेदी	अध्यक्ष, आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिरोही	**9414153177**
श्री ए.के.शाह	प्रबन्ध निदेशक, फिनग्रोथ को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जयपुर	**9829020157**
श्री एन.एस.डाबी	प्रबन्ध निदेशक, आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिरोही	**9414152382**

सदस्य सचिव

श्री एम. एल. शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**9610780521**

दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि0, जयपुर

हमारा संचालक मण्डल

अध्यक्ष
हरि गोपाल राठी
अध्यक्ष
जोधपुर नागरिक
सहकारी बैंक लि0,

संचालक
राम प्रसाद अग्रवाल
अध्यक्ष
मालवीय अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
जयपुर

संचालक
रमेश आचार्य,
अध्यक्ष
ब्यावर अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
ब्यावर

संचालक
राजेश जैन
अध्यक्ष
बालोतरा अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
बालोतरा

संचालक
इन्दर मल सेठिया
अध्यक्ष
चित्तौड़गढ़ अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
चित्तौड़गढ़

संचालक
श्रीमती कीर्ति बोरदिया
अध्यक्ष
भीलवाड़ा महिला
अरबन को–ऑप. बैंक
लि0, भीलवाड़ा

संचालक
मोहन पाराशर
अध्यक्ष
जालोर नागरिक
सहकारी बैंक लि0,
जालोर

संचालक
श्रीमती मोहरबाई
मीणा
उपाध्यक्ष
आदर्श
को–ऑपरेटिव बैंक
लि0, सिरोही

संचालक
उमा शंकर शर्मा
अध्यक्ष
भरतपुर अरबन
को–ऑप. बैंक
लि0, भरतपुर

संचालक
सत्येश शर्मा
अध्यक्ष
बूंदी अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
बूंदी

सहवृत सदस्य
सोहनलाल कपाड़
अध्यक्ष
पाली अरबन
को–ऑप. बैंक लि0,
पाली

सहवृत सदस्य
श्री आशिक हुसैन नवानिया
अध्यक्ष
उदयपुर अरबन को–ऑप.
बैंक लि0, उदयपुर

संचालक
श्री वी. के. गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक,
दि राजस्थान स्टेट
को–ऑपरेटिव बैंक
लि., जयपुर

विशेष आमंत्रित सदस्य
श्री पी. के. त्रिवेदी
[illegible]
[illegible]

विशेष आमंत्रित सदस्य
श्री एन.एस.डावी
[illegible]
[illegible]

विशेष आमंत्रित सदस्य
ए. के. शाह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
फिनग्रोथ को–आप. बैंक

सदस्य सचिव
एम. एल. शर्मा,
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

फैडरेशन एक दृष्टि में

पंजीयन

तत्कालीन राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 8 के अंतर्गत दी राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का पंजीयन 18 जून, 1987 को हुआ था (पंजीयन संख्या 40LC) जिसके लिये प्रार्थना–पत्र प्रारम्भ में जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, पाली व नागौर अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों ने दिया था। रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 24.07.1995 से फैडरेशन अवसायन में चला गया जो उन्हीं के आदेश दिनांक 27.3.1998 से पुनर्जीवित हुआ। तब से फैडरेशन निरंतर क्रियाशील है।

उप–नियम

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के दिनांक 14 नवम्बर, 2002 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के 30 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होने के पश्चात् रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा फैडरेशन के नवीन उप–नियम दिनांक 5 मार्च, 2007 को पंजीकृत किये गये एवं दिनांक 27 अगस्त, 2010 व दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को इन्हें संशोधित किया गया। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के क्रम में उप–नियमों में नवीनतम संशोधन रजिस्ट्रार महोदय के आदेश दिनांक 04–07–2014 द्वारा रजिस्टर्ड किये गये हैं। फैडरेशन के नवीनतम उप–नियमों की प्रति फैडरेशन की वेबसाईट *www.rajucbfed.org.in* पर प्रदर्शित है।

सदस्यता

राज्य की सभी 41 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकें फैडरेशन की सदस्य हैं। सदस्य बैंकों में से दो बैंक गंगानगर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 8 सितम्बर, 2004 से व लोक विकास अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 11 अक्टूबर, 2004 से अवसायन में हैं। वैशाली अरबन को–ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाईसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12 जून, 2013 से निरस्त कर दिया गया है।

अजमेर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. का बैंकिंग लाईसेंस भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2014 से निरस्त कर दिया गया है। एवं इस प्रकार राज्य में 37 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकें ऐसे सदस्य बैंक हैं जो कार्यशील हैं।

वर्तमान स्थिति

(i) राज्य में 37 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकें कार्यरत हैं जिनकी 219 शाखाऐं हैं। ये सभी नॉन–शिड्यूल्ड बैंकें हैं।

(ii) उपरोक्त बैंकों में से 6 महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंकें हैं।

(iii) उपरोक्त बैंकों में से 3 बैंकें रेल्वे सैलरी अर्नर सहकारी बैंकें हैं।

(iv) आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक, फिनग्रोथ को–ऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हैं।

(v) दिनांक 01.04.2009 से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार CAMELS RATING से वर्गीकरण प्रारम्भ हो गया है।

(vi) अधिकांश सदस्य बैंकों की CRAR 9 प्रतिशत से अधिक है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक व राज्य सरकार के मध्य 6 सितम्बर 2006 को सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित होने के पश्चात् राजस्थान में TAFCUB (Task Force on Urban Cooperative Banks) का गठन हुआ है। जिसमें फेडरेशन का भी प्रतिनिधित्व है। इसका उद्देश्य वर्तमान वैधानिक दोहरी नियंत्रण व्यवस्था के रहते हुए एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां सभी संबंधित पक्षें की आपसी सहमति से अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के सुदृढ़ीकरण व आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु त्वरित निर्णय

लिए जा सकें। राज्य के टेफकब की बैठकें भारतीय रिजर्व बैंक स्तर पर नियमित अन्तराल पर होती है।

राज्य के टेफकब में सुपरवाईजरी एक्शन फ्रेमवर्क अंतर्गत निम्न 3 बैंकें का रिव्यू हो रहा हैः–

- अलवर अरबन को–ऑप0 बैंक लि.
- राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि.
- राजलक्ष्मी महिला अरबन को–ऑप. बैंक लि.

इनके अतिरिक्त निरीक्षण के आधार पर 'स' व 'द' में वर्गीकृत निम्न बैंकों का भी रिव्यू किया जाता हैः–

- इण्टीग्रल अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जयपुर
- राजपूताना महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जयपुर
- राजसमन्द अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, राजसमन्द
- चूरू जिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सादुलपुर
- नागौर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, नागौर
- सीकर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सीकर
- धौलपुर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0, धौलपुर।

(viii) दो बैंकें–अलवर व राजसमन्द को छोड़ कर सभी सदस्य बैंकें लाभ में हैं।

संचालक मण्डल

फेडरेशन के नए उपनियम दिनांक 5 मार्च 2007 को पंजीकृत होने के पश्चात् दिनांक 5 मई 2007 को संचालक मण्डल के चुनाव एवं पुनः चुनाव दिनांक 06.09.2012 को सम्पन्न हुए।

तत्पश्चात् निर्वाचित संचालक मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 06.09.2012 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। इसके पश्चात् तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये त्याग–पत्र के बाद 26–9–2013 को श्री हरि गोपाल राठी, जो तत्समय उपाध्यक्ष थे, का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ एवं तब से फैडरेशन में उपाध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है। फैडरेशन मे संचालकों की संख्या उप–नियमानुसार 14 है जिनमें से 12 संचालक निर्वाचन से चुने जाते हैं। संचालक मण्डल में उप–नियमानुसार दो सदस्यों को सहवृत भी किया हुआ है।

संचालक मण्डल की वर्ष 2014–15 में निम्न बैठकें हुई हैं :

दशम् बैठक	दिनांक 26.05.2014	(जयपुर)
एकादश बैठक	दिनांक 01.08.2014	(जयपुर)
द्वादश बैठक	दिनांक 11.08..2014	(जयपुर)
त्रयोदश बैठक	दिनांकः 23.12.2014	(जयपुर)

वार्षिक शुल्क

वर्ष 2013–14 का वार्षिक शुल्क 03 बैंको यथा अजमेर, दौसा एवं राजसमन्द बैंकों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2014–15 का वार्षिक शुल्क 07 बैंको यथा अजमेर, दौसा, धौलपुर, इण्ट्रीगल, नागौर राजसमन्द, एवं राजपूताना महिला अरबन बैंक से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रशासक एवं विभागीय मुख्य कार्यकारी

वर्तमान में राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक, जयपुर में प्रशासक है। अन्य सभी बैंकों में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है।

जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., जोधपुर एवं कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि0, कोटा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर सहकारी विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

अमानतें

31.03.2015 को बैंकों की अमानतों के आधार पर अरबन को–ऑप. बैंकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है–

500 करोड़ रु. से अधिक	–	02	आदर्श बैंक एवं कोटा बैंक
200 करोड़ रु. से 500 करोड़ रु. तक	–	05	फिनग्रोथ, जोधपुर, रेल्वे–जोंधपुर रेल्वे–जयपुर एवं उदयपुर–अरबन,
100 करोड़ रु. से 200 करोड़ रु. तक	–	10	बालोतरा, बारां, भीलवाड़ा–महिला, भीलवाड़ा–अरबन, इण्टीग्रल, जालौर, मालवीय–अरबन, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर–महिला,
50 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. तक	–	09	ब्यावर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, कोटा–महिला, नागौर, सीकर , सुमेरपुर एवं उदयपुर महिला समृद्धि
50 करोड़ रु. से कम	–	11	अलवर, भरतपुर, चूरू, धौलपुर, झालावाड़–नागरिक, रेल्वे–बीकानेर, राजलक्ष्मी–महिला, राजपूताना महिला, सवाईमाधोपुर, स्टर्लिंग एवं राजस्थान अरबन,
कुल योग		**37**	

SUB-CATEGORY

Multi State Banks	-	02	Adarsh Bank, Fingrowth Bank
Multi District Banks (Rajasthan State)	-	02	Jalore, Pali
Unit Banks	-	09	Alwar, Bharatpur, Bundi, Jhalawar-Nagrik, Railway Shramik Bikner, Rajputana Mahila Sawaimadhopur, Railway-Jodhpur, Sterling.
Single District Bank with more than one Branch	-	24	All other banks
TOTAL		**37**	

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण,

फैडरेशन की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण सभा में आप सभी माननीय सदस्यों एवं हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए सम्माननीय अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स के लिये जनवरी, 2015 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन श्री आर. गांधी, डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में किया था जिसकी सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक की गई है। नेफकब की वार्षिक साधारण सभा में इन सिफारिशों को सहकारी आंदोलन के लिये अहितकर मानते हुए विरोध दर्ज कराया है। उनके निर्देशानुसार आपके फैडरेशन ने भी 7 सितम्बर, 2015 को प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के माध्यम से सहकारिता से जुड़े माननीय सदस्यों एवं आमजन को जागरुक करने का प्रयास किया गया है।

नेफकब द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर, 2015 में चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाने वाला है जिसका उद्घाटन देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किये जाने की सम्भावना है। सभी सदस्य बैंकों से निवेदन है कि इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

राज्य की अरबन/ नागरिक सहकारी बैंको द्वारा वर्ष 2014–15 में सराहनीय प्रगति की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण अग्रानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क0सं0	मद	2012–13	2013–14	2014–15
1.	अमानतें	462366.89	529432.06	569407.97
2.	ऋण अग्रिम बकाया	268978.76	300567.98	331039.76
3.	हिस्सा राशि	25879.18	27530.83	28616.67
4.	कार्यशील पूंजी	551180.11	639992.03	669979.86
5.	सदस्यता (संख्या में)	454127	469473	461063

नोटः * राज्य के 9 सदस्य बैंकों (यथा भरतपुर, दौसा, धौलपुर, इण्टीग्रल, रेल्वे–जयपुर, राजलक्ष्मी–महिला, राजपूताना–महिला, रेल्वे–जोधपुर एवं स्टर्लिंग) से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

- अधिकांश सदस्य बैंकों का सीआरएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा 9 प्रतिशत से अधिक है।

- राज्य के राजलक्ष्मी महिला अरबन को–ऑप. बैंक एवं राजसमन्द अरबन को–ऑप. बैंक का एनपीए निर्धारित सीमा 5 प्रतिशत से अधिक है, जो चिन्तनीय है।
- सदस्य बैंकों का 31 मार्च, 2015 को औसतन सीडी रेश्यो 58 प्रतिशत है। जिन बैंकों का सीडी रेश्यो 50 प्रतिशत से कम है वे बैंकें हैं –

अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, जोधपुर–नागरिक, कोटा–महिला एवं उदयपुर–महिला–समृद्धि

इन बैंकों को ऋण वितरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना सुझावित है।

- नवीन लघु बैंक्स, भुगतान बैंक्स आने के साथ ही आने वाला समय हमारे लिये चुनौतीपूर्ण होगा जिसके लिये हमें अभी से तैयारी करनी होगी।

प्रशिक्षण

राज्य सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य MOU के पश्चात् अरबन बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक पर आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा स्थानों पर समय–समय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं। फैडरेशन द्वारा भी आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(1) एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 30.5.2014 को होटल ओम टावर, जयपुर में आयोजित की गई जिसमें केवाईसी एण्ड एण्टी मनी लॉण्डरिंग, सीटीएस, कम्प्यूटराईजेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

(2) दिनांक 12.09.2014 को फैडरेशन की दशम वार्षिक साधारण सभा के पश्चात् बैंकिंग सोफ्टवेयर पर प्रजेण्टेशन दिया गया।

(3) दो दिवसीय सम्मेलन 20 व 21 फरवरी, 2015 को होटल ओम टावर, जयपुर में चैकों की प्रिटिंग के लिये तैयार की गई विभिन्न मशीनों को लाईव प्रदर्शन करा कर जानकारी दी गई। इसके बाद कम्प्यूटर सौफ्टवेयर के विभिन्न उत्पादों की जानकारी के साथ बैंकों के डाटाज् सुरक्षित रखे जाने की तकनीक की जानकारी दी गई। अंत में समूह जीवन बीमा की विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रीमियम आदि की जानकारी कराई गई। दूसरे दिन सेवा कर के बारे में प्रजेण्टेशन के माध्यम से पूर्ण जानकारी बाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(4) इसके अतिरिक्त फैडरेशन द्वारा, NAFCUB द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना सभी सदस्य बैंकों को भिजवाई जाती है।

(5) इसी प्रकार ICM द्वारा आयोजित की आने वाली प्रशिक्षण की सूचना भी सदस्यों बैंकों को भिजवाई जाती है।

विविध

इसके अतिरिक्त फेडरेशन –

1. मासिक रूप से Price Index सभी सदस्य बैंकों को भेजा जाता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की घोषित Credit Policy के मुख्य प्रावधान बैंकों को भेजे जाते हैं।

3. फैडरेशन द्वारा पूर्व में निर्मित एवं संचालित वेबसाईट को नये तरीके से तैयार करवाकर चालू करवाया गया जिसके माध्यम से फैडरेशन एवं सदस्य बैंकों एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों व प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सदस्य बैंकों की सूची, जिसमें उच्च अधिकारियों के नाम व टेलीफोन नम्बर, ई–मेल पता लिखा होता है, की प्रति फैडरेशन की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई हुई है जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। वेबसाईट के माध्यम से वेब लिंक की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसे क्लिक करने पर संबंधित विभाग की वेबसाईट तत्काल खुल जाती है।
4. फैडरेशन के मासिक न्यूज लैटर ''सृजन'' का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया तथा प्रत्येक माह तैयार किया जाकर ईमेल से सदस्य बैंकों को भिजवाने के साथ–साथ फैडरेशन की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
5. महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णयों की प्रति सदस्य बैंकों को भेजी जाती है।
6. समय–समय पर हर सदस्य बैंक द्वारा उठाई गई समस्या का यथासम्भव समाधान तुरन्त किया जाता है।
7. जो विद्यार्थी अरबन बैंकों इत्यादि पर शोध कार्य करते हैं उन्हें हर सम्भव सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
8. फेडरेशन के कार्यालय में एक लाईब्रेरी भी संधारित की जाती है।
9. फेडरेशन प्रत्येक वित्त वर्ष समाप्त के पूर्व सदस्य बैंकों को वार्षिक खाता बंदी सम्बन्धित जानकारी अंतिम त्रैमास में भिजवाई जाती है जिससे सदस्य बैंक को वार्षिक खातों के समापन संबंधी कोई जानकारी अछुती नहीं रहे।
10. बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकों की शिकायतों एवं सुझावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर सदस्य बैंकों की भिजवाई गई।
11. फैडरेशन स्तर पर सभी अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों से विभिन्न सूचनाओं/आंकड़ों का संकलन कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु इसके लिये सभी बैकों से सूचनाओं के त्वरित सम्प्रेषण के सहयोग की अपेक्षा है। 31–3–15 की स्थिति पर चाही गई सूचनाएं अभी भी 9 बैंकों से प्राप्त होनी शेष है जिसके कारण संकलन में विलम्ब हो रहा है।

रजिस्ट्रार महोदय के साथ मीटिंग– राज्य के अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में दिनांक 11 अगस्त, 2014 को रजिस्ट्रार महोदय के साथ फैडरेशन के संचालक मण्डल एवं अन्य अध्यक्ष अरबन बैंकों की एक मीटिंग हुई जिसमें धारा 99–100 के अंतर्गत वसूली अधिकारों की वापसी सहित महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया। यह बैठक काफी सकारात्मक रही। इसी क्रम में दिनांक 12–8–2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भी एक बैठक रजिस्ट्रार महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसके दौरान बैंकों के समक्ष आ रही कठिनाईयों से रजिस्ट्रार महोदय को अवगत कराया गया।

20 फरवरी, 2015 को भारतीय रिजर्व बैक के महाप्रबन्धक श्री डी. के. मीना को भी दो दिवसीय कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग में जहां श्री मीणा ने विभिन्न कमेटियों के गठन, बैंकों के निरीक्षण में पाई जा रही कमियों एवं अन्य भारतीय रिजर्व बैक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान की, वहीं बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैंकों के समक्ष आ रही कठिनाईयों से उन्हें अवगत कराया।

दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को नेफकब के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस कान्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया एवं भविष्य में भी फैडरेशन द्वारा अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के प्रचार–प्रसार में महती भूमिका निभाने की योजना है।

फैडरेशन को और गतिमान बनाने के लिये आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं।

फेडरेशन का सहकारी विभाग व भारतीय रिजर्व बैंक से एक आदर्श समन्वय रहा है इसके फलस्वरूप फेडरेशन अपनी भूमिका निभाने में काफी हद तक सफल रहा है।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी विभाग से हमें सदैव अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जिसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपेक्स बैंक के प्रबन्ध निदेशक फैडरेशन के निदेशक मण्डल में हैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

आगामी वर्षों में कुशल प्रशासन एवं समर्पित ग्राहक सेवा से राज्य के सभी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक निरंतर प्रगति करेंगे, इसी शुभकामनाओं के साथ।

जय सहकार।

संचालक मण्डल की ओर से

हरि गोपाल राठी
अध्यक्ष,
फैडरेशन

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com
Website: www.rajucbfed.org.in

एकादशम् वार्षिक साधारण सभा
विषय सूची

1. गत दशम् आम सभा दिनांक 12—9—2014 की बैठक कार्यवाही की पुष्टि।
2. गत दशम् आम सभा दिनांक 12—9—2014 में लिये गये निर्णयों पर फैडरेशन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा।
3. फैडरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन एवं फैडरेशन द्वारा किये गये कार्यों का अवलोकन।
4 वित्तीय वर्ष 2014—15 के अंकेक्षित अंतिम लेखों को अंगीकार किये जाने बाबत।
5. वित्तीय वर्ष 2015—16 के वार्षिक बजट की स्वीकृति।
6. फैडरेशन की वर्ष 2014—15 की अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
7. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
   7.1 वित्तीय वर्ष 2015—16 के अंतिम लेखों की ऑडिट हेतु ऑडिटर की नियुक्ति बाबत।

दिनांक 24—09—2015 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा के

एजेण्डा नोट्स

विषय क्रमांकः 1ः गत दशम् आम सभा दिनांक 12—9—2014 की बैठक कार्यवाही की पुष्टि।

फैडरेशन द्वारा पिछली आम सभा दिनांक 12—09—2014 की बैठक कार्यवाही पत्रांक 10180 दिनांक 14—09—2014 के द्वारा माननीय सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः बैठक कार्यवाही माननीय सदस्यों के पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत है।

विषय क्रमांकः 2 :पूर्व साधारण सभा 12—09—2014 में लिये गये निर्णयों पर फैडरेशन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा।

क.सं.	विवरण	अनुपालना
1	नवम् वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.08.2013 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
2	फैडरेशन द्वारा दिनांक 23.08.2013 को आयोजित नवम् वार्षिक साधारण सभा में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं ।
3	फैडरेशन द्वारा वर्ष 2013—14 में किये गये कार्यों की सराहना की गई एवं आगामी वर्ष में अरबन को—ऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं को नेफकब के माध्यम से सामूहिक रूप से सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करते रहने का निर्णय लिया गया।	अरबन को—ऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं नेफकब को पत्र लिखे गये हैं। रिजर्व बैंक द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के समक्ष भी कतिपय विषय प्रस्तुत करने हेतु पत्र रिजर्व बैंक एवं नेफकब को प्रेषित किये गये।
4	फैडरेशन के वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 के ऑडिटेड अंतिम लेखों का अनुमोदन कर अंगीकार किये गये।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
5	फैडरेशन के वर्ष 2014—15 के अंतिम लेखों का ऑडिट करवाने के लिये सहकारी विभाग द्वारा जारी पैनल में से मैसर्स श्रुति एण्ड एसोसियेट्स, चार्टेड अकाउण्टेंट को नामांकित किया गया एवं पारिश्रमिक भुगतान के लिये 3000/— की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।	निर्णय की पालना में फैडरेशन के वर्ष 2014—15 के अंतिम लेखों का ऑडिट मैसर्स श्रुति एण्ड एसोसियेट्स, चार्टेड अकाउण्टेंट से कराया गया जो माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एजेण्डा बिन्दु सं. 4 पर सादर प्रस्तुत है।
6	वित्तीय वर्ष 2013—14 में आवंटित बजट से अधिक हुए व्ययों की पुष्टि की गई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
7	वार्षिक आम सभा में प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 14 पर उद्वृत कुल रूपये 1050000/— के वार्षिक बजट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	वित्तीय वर्ष 2014—15 में समस्त व्यय स्वीकृत सीमा में ही हुए हैं।
8	रजिस्ट्रार महोदय द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अंतर्गत पारित आदेश क्रमांक फा. 15(1)9/सविरा/नियम/87 पार्ट—2 दिनांक 04—07—2014 के अनुसार भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के क्रम में फैडरेशन के उप—नियमों में संशोधन रजिस्टर्ड किये गये हैं जिनका माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

विषय क्रमांकः 3ः फैडरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन एवं फैडरेशन द्वारा किये गये कार्यों का अवलोकन।

फैडरकेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 का वार्षिक प्रतिवेदन सभी माननीय सदस्यों को ईमेल द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। फैडरेशन द्वारा वर्ष 2014—15 में जो कार्य निष्पादित किये गये, उनका विवरण अध्यक्षीय उद्बोधन में पृष्ठ सं0 6 से 9 पर में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांकः 4ः वित्तीय वर्ष 2014—15 के अंकेक्षित अंतिम लेखों को अंगीकार किये जाने बाबत।

फैडरेशन के वर्ष 2014—15 के अंकेक्षित अन्तिम लेखे महती सभा के अवलोकनार्थ एवं अंगीकार किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2014-15

Amt. in Rs.

2013-14	Particulars	2014-15	2013-14	Particulars	2014-15
561828.00	Salary	486901.00	885000.00	Annual Subscription	878000.00
15000.00	Subs. to NAFCUB	11236.00	80000.00	Other than Annual Subscription	20000.00
54044.00	Travelling Expenses	22638.00	142021.00	Interest on FDR	162484.00
12226.00	Courier/Postage exp.	8659.00			
3840.00	Electricity Water Charges	3516.00			
3089.00	Newspaper & Journals	2596.00			
3430.00	Bookd & Periodicals	2440.00			
2130.00	Meeting Expenses	13225.00			
25845.00	AGM Expenses	20000.00			
17646.39	Photostat Typing Charges	6300.00			
56400.00	Rent of Premises	68100.00			
12089.00	Stationery	13656.00			
26209.00	Telephone Expenses	27553.00			
2500.00	Audit Fee	2500.00			
15533.00	Dep. on Furniture & Fixtures	13036.00			
3300.00	Computer Expenses	2050.00			
	Inhouse news letter & Website	13500.00			
6063.00	Election Expenses	0.00			
-	Training Expenses	30000.00			
11358.61	Charges General	14546.00			
274490.00	Surplus	298032.00			
1107021.00	**TOTAL**	**1060484.00**	**1107021.00**	**TOTAL**	**1060484.00**

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2015

Amt. in Rs.

2013-14	Liabilities	2014-15	2013-14	Assets	2014-15
41000.00	Share Capital	41000.00	2752.00	Cash in Hand	2381.00
4100.00	Admission Fee	4100.00	55951.00	Fingrowth Coop. Bank, Jaipur	90758.50
994148.50	Reserve & Surplus	1292180.50	35206.00	Adarsh Co-op. Bank, Jaipur	65298.00
23781.00	Training Fund *	107646.00	65253.00	Furniture & Fixtures *	52217.00
26564.00	Legal Fund *	25464.00	1500000.00	FDR	1889494.00
55781.50	Promotional Fund	55781.50			
132463.00	Direct Tax Code Fund	132463.00			
381324.00	Development Fund	381324.00			
0.00	AGM meeting Fund *	60189.50			
1659162.00	**TOTAL**	**2100148.50**	**1659162.00**	**TOTAL**	**2100148.50**

** Details avaiable at Annexure-1*

(M.L.Sharma) Chief Executive Officer — (Ramesh Acharya) Director — (R.P.Agrawal) Director — (Hari Gopal Rathi) Chairman

SHRUTI & ASSOCIATES, JAIPUR, Chartered Accountants

E/P.K.Gupta/Final Accounts

THE RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED
B-41, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015
Telefax : 0141-2703226; E-mail : rafcubf@gmail.com

Annexure-1

Financial Year 2014-15 Amt. in Rs.

Details of Training Fund		
Balance B.F	23781.00	
Receipt	28000.00	
Federation's Contribution	30000.00	
Feb.Conf receipt	112900.00	
Sub Total	**194681.00**	
Less- Payment	87035.00	107646.00

Details of AGM Fund		
Special Contribution	187500.00	
Federation's. Contribution	20000.00	
Sub Total	207500.00	
Less- AGM Exp.	147310.50	60189.50

Details of Furniture & Fixture		
Balance as on 1.4.15	65253.00	
Less - Depreciation	13036.00	52217.00

Details of Legal Fund		
Balance B/F.	26564.00	
Less - Payments	1100.00	25464.00

(M.L.Sharma)	(Ramesh Acharya)	(R.P.Agrawal)	(Hari Gopal Rathi)
Chief Executive Officer	Director	Director	Chairman

SHRUTI & ASSOCIATES JAIPUR Chartered Accountants

RAJASTHAN URBAN CO-OP. BANKS FEDERATION LIMITED

LIST OF FIXED DEPOSITS AS ON 31ST MARCH, 2015

Adarsh Coop. Bank Ltd., Moti Dungari Bracnch, Jaipur

S.No.	FDR No.	Date	Principal Amount in Rs.	Rate of Intt.	Date of Maturity	Maturity amount in Rs. on due date
1	RP/156/44	05.04.2014	150000.00	9.25%	05.04.2015	164364.00
2	RP/156/45	18.04.2014	150000.00	9.25%	17.04.2015	164364.00
3	RP/156/46	28.04.2014	100000.00	9.25%	27.04.2015	109576.00
4	FD/7/29	30.04.2014	150000.00	10.00%	29.04.2015	164959.00
5	FD/7/30	06.05.2014	100000.00	10.00%	05.05.2015	109973.00
6	RP/7/31	27.05.2014	200000.00	10.00%	26.05.2015	219945.00
7	RP/7/32	19.06.2014	100000.00	10.00%	18.06.2015	109973.00
8	FD/7/28	06.11.2014	164959.00	10.00%	05.11.2015	181410.00
9	FD/7/18	06.12.2014	164959.00	10.00%	04.12.2015	181410.00
10	RP/156/43	29.03.2015	109576.00	9.25%	29.03.2016	120069.00
		Total	**1389494.00**			**1526043.00**

The Fingrowth Co-operative Bank Ltd., Bapu Nagar Jaipur

S.No.	FDR No.	Date	Principal Amount in Rs.	Rate of Intt.	Date of Maturity	Maturity amount in Rs. on due date
11	60/04/189	21.04.2014	100000.00	9.00%	20.04.2015	Quarterly Interest Payment
12	60/04/199	27.05.2014	100000.00	9.00%	25.05.2015	-do-
13	60/04/208	16.06.2014	100000.00	9.00%	08.06.2015	-do-
14	60/04/218	21.07.2014	100000.00	9.00%	20.07.2015	-do-
15	60/04/268	29.01.2015	100000.00	9.00%	29.01.2016	-do-
		Total	**500000.00**			**500000.00**
		Grand Total	**1889494.00**			**2026043.00**

MANAGER

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SHRUTI & ASSOCIATES
CA
JAIPUR
Chartered Accountants

THE RAJASTHAN URBAN CO-OPERATIVE BANKS FEDERATION LTD., JAIPUR

LIST OF FURNITURE & FITTINGS AS ON 31ST MARCH, 2015

S.No.	Particulars	L.F.	Qty.	Value as on 31.3.2014	Rate of Depreciation in %	Depreciation for the year ended 31.3.15	Outstanding value as on 31.3.2015 amount in Rs.
1	Small Almirah	1	1	211	10	21	190
2	Steel Table and Chair	2	3+4	1169	10	117	1052
3	Ceiling Fan	3	2	25	25	6	19
4	Fridge	6	1	2810	25	703	2107
5	Fax Machine	11	1	262	25	66	196
6	Table & Executive Chair	8	3+7	2657	10	266	2391
7	Almirah Big	14	3	12468	10	1247	11221
8	Book Shelves	15	7	17190	10	1719	15471
9	Curtains	21	14	4351	10	435	3916
10	AC with Accessories	9/24	1	19185	25	4796	14389
11	Computer with table & Printers and Scanner and UPS	10	1	3300	Straight line 1/3rd	3297	3
12	Blower	7	1	285	10	28	257
13	T.V.	12	1	1340	25	335	1005
			Total	**65253**		**13036**	**52217**

Manager

Chief Executive Officer

विषय क्रमांक: 5: वित्तीय वर्ष 2015—16 के वार्षिक बजट की स्वीकृति।

दिनांक 02.05.2015 को सम्पन्न संचालक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015—16 का वार्षिक बजट अनुमोदित कर आगामी साधारण सभा में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में निम्नानुसार प्रदर्शित वार्षिक बजट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

The Rajasthan Urban Co-operative Banks Federation Ltd.,

Budgent Estimates for the year 2015-16

Head	Actual for the year 2013-14	BUDGET ESTIMATE for the year 2014-15	Actual in the year 2014-15	Budget estimate for the year 2015-16
INCOME/RECEIPT				
Annual Subscription/Fees	885000.00	890000.00	878000.00	950000.00
Other than subscription receipt	80000.00	20000.00	20000.00	40000.00
Intt. Recd. On FDRs	142021.00	140000.00	162484.00	175000.00
TOTAL	**1107021.00**	**1050000.00**	**1060484.00**	**1165000.00**
EXPENDITURES/PAYMENTS				
Salalry	561828.00	565000.00	486901.00	600000.00
Subs to NAFCUB	15000.00	15000.00	11236.00	15000.00
Travelling Exp.	54044.00	55000.00	22638.00	60000.00
Courer exp. /Postage	12226.00	19500.00	8659.00	10000.00
Electrisity & water Charges	3840.00	5000.00	3516.00	6000.00
News paper expenses	3089.00	3200.00	2596.00	4000.00
Periodicals & journals	3430.00	6000.00	2440.00	6000.00
Meeting Expenses	2130.00	15000.00	13225.00	60000.00
AGM Expenses	25845.00	20000.00	20000.00	130000.00
Photostat & Typing	17646.39	20000.00	6300.00	10000.00
Rent	56400.00	56400.00	68100.00	75000.00
Stationary	12089.00	16500.00	13656.00	20000.00
Telephone exp.	26209.00	28000.00	27553.00	35000.00
Audit Fee	2500.00	2500.00	2500.00	3000.00
Depriciation	15533.00	15000.00	13036.00	20000.00
Computer expenses	3300.00	5000.00	2050.00	5000.00
Inhouse newsletter		34000.00	13500.00	35000.00
Election Expenses	6063.00	11000.00	0.00	10000.00
Training Expenses		30000.00	30000.00	30000.00
Charges A/c. Gen. exp	11358.61	15000.00	13715.00	15000.00
Staff /Guest welfare exp.				4000.00
Bank Charges			831.00	2000.00
TOTAL	**832531.00**	**937100.00**	**762452.00**	**1155000.00**
SURPLUS	**274490.00**	**112900.00**	**298032.00**	**10000.00**

विषय क्रमांकः 6ः फैडरेशन की वर्ष 2014–15 की अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।

मैसर्स श्रुति एण्ड एसोसियेट्स चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 की अंकेक्षण रिपोर्ट भाग ''अ'' माननीय सदस्यों के सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जो सामान्यतः विवरणात्मक है।

ऑडिट में आक्षेप मुख्यतः निम्न हैं जिनकी अनुपालना रिपोर्ट संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7 सितम्बर, 2015 में अनुमोदित की गई। माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत हैं।

क्रमांक	विवरण	अनुपालना कार्यवाही
1	फैडरेशन द्वारा वास्तविक प्राप्ति भुगतान आधार पर लेखे रखे जाने के कारण सदस्यों का बकाया शुल्क संतुलन चित्र में नहीं दर्शाया गया है।	विवरणात्मक है। फैडरेशन द्वारा लेखे वास्तविक प्राप्ति/भुगतान अनुसार रखे जाने ही उचित हैं।
2	अधिक कार्यशालाएं आयोजित करना अपेक्षित है व कमजोर श्रेणी की बैंकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिये। फैडरेशन से और अधिक सक्रियता अपेक्षित है।	सुझावानुसार कार्यशालाओं/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण सत्र और अधिक आयोजित किये जावेंगे। फैडरेशन सभी बैंकों, विशेषकर कमजोर बैंकों की समस्या की ओर विर्शेष जागरूकता बरतते हुए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

ऑडिट आक्षेप–पत्र वर्ष 2014–15

भाग ''अ''

नाम समिति	:	दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर
पता	:	बी–41, गणेश मार्ग, बापूनगर, जयपुर
पंजीयन कमांक	:	40/एल सी
पंजीयन दिनांक	:	18.06.1987
ऑडिट अवधि	:	01.04.2014 से 31.03.2015
नाम गत ऑडिटर	:	टी शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड अकाउण्टेंट, जयपुर
नाम वर्तमान ऑडिटर	:	श्रुति एण्ड एसोसिएट्स, चार्टेड अकाउण्टेंट, जयपुर

	गत ऑडिट के समय	वर्तमान ऑडिट के समय
सदस्य बैंक	41	41
ऑडिट वर्गीकरण	''बी''	''बी''
कार्य क्षेत्र	समस्त राजस्थान	समस्त राजस्थान

समिति का यह ऑडिट दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक की अवधि का है जिसे दिनांक 26.5.2015 को प्रारम्भ कर दिनांक 05.06.2015 को समाप्त किया गया।

1. **संस्था परिचय/कार्य प्रणाली**

दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का पंजीयन दिनांक 18.06.1987 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अंतर्गत हुआ है। राजस्थान के 41 अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स इसके सदस्य हैं। संस्था की ऑडिट अवधि में दो अधिकारी कार्यरत रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एन.आर. खंगार, जो कि जून–2014 तक कार्यरत रहे, तत्पश्चात् अगस्त 2014 से श्री एम.एल. शर्मा ने कार्यभार संभाला। उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जानकी बल्लभ अग्रवाल दिनांक 30 अगस्त, 2014 तक कार्यरत थे एवं प्रबंधक श्री प्रहलाद कुमार गुप्ता हैं। 31 मार्च, 2015 को निम्नानुसार अधिकारी/ कर्मचारी नियोजित थेः–

कमांक	नाम	पद	वेतन
1	श्री एम.एल. शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	25000.00
2	श्री प्रहलाद कुमार गुप्ता	प्रबंधक	12000.00
3	श्री रामअवतार मीना	च.श्रे. कर्मचारी	5500.00

संस्था द्वारा वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों को बैंकिंग कार्य प्रणाली से संबंधित व सहकारिता से संबंधित विभिन्न परिपत्र जारी किये गये व वर्ष के दौरान 2 कार्यशालाओं का आयोजन दिनांक 30 मई, 2014 एवं 20–21 फरवरी, 2015 को किया गया है। इसके साथ ही गत साधारण सभा की तिथि 12–09–2014 को भी इन्फ्रासोफ्ट टेक इण्डिया लि0 द्वारा सहकारी बैंकों के हितार्थ बैंकिंग सौफ्टवेयर का प्रजेण्टेशन करवाया गया।

2. **कोष एवं निधियांः**

गत वर्ष संस्था के पास कोष कुल रूपये 994148.50 था जो इस वर्ष बढ़ कर रूपये 1292180.50 हो गया है। संस्था का आय का व्ययों पर आधिक्य रूपये 298032.00 रहा है। गत वर्ष संस्था में यह आधिक्य रूपये 274490.00 का था।

SHRUTI & ASSOCIATES
CA
JAIPUR
Chartered Accountants

3. हिस्सा पूंजी

हिस्सा रजिस्टर अनुसार संस्था के कुल 41 सदस्य हैं। संस्था के पास कुल 4100.00 रूपये प्रवेश शुल्क के रूप में जमा हैं व 41000 रूपये सदस्य प्रदत्त पूंजी के रूप में जमा है। इस मद में विस्तृत टिप्पणी ऑडिट रिपोर्ट के भाग ''ब'' के पैरा संख्या 4 से 6 में की गई है।

4. अमानतें

संस्था के पास बैंकिंग कार्य नहीं होने के कारण कुल अमानतें शून्य हैं।

5. बाह्य ऋण

आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा कोई बाह्य ऋण प्राप्त नहीं किया गया है।

6. बजट

संस्था द्वारा वर्ष 2014–15 में व्यय के लिये 1050000.00 का बजट स्वीकृत किया गया है। 2014–15 में खर्चे बजट के अनुरूप ही किये गये हैं।

7. फण्ड्सः

7.1 DTS फण्ड

यह संस्था द्वारा संचालक मण्डल की 15वीं बैठक में आम सहमति से बनाया गया है। इस फण्ड का उद्देश्य Direct Tax Code Bill, 2010 के लागू होने से Urban Co-operative Banks Sector पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में एक्शन कमेटी का गठन करना तथा होने वाले वित्तीय खर्चों हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाना है। इस कोष में रूपये 132463.00 की राशि जमा है।

7.2 Legal Fund

इस फण्ड का उद्देश्य होने वाले कानूनी खर्चों हेतु राशि उपलब्ध करवाना है। इस कोष में गत वर्ष रूपये 26564/– का जमा शेष था जिसमें से आलोच्य वर्ष में रूपये 1100/– का भुगतान किये जाने से वर्ष के अंत में रूपये 25464/– का जमा शेष रहा है।

7.3 प्रशिक्षण कोष

संस्था स्तर पर प्रशिक्षण कोष बना हुआ है जिसमें वर्ष के प्रारम्भ में रूपये 23781/– का जमा शेष था। फैडरेशन द्वारा रूपये 30000/– का अंशदान इसमें जमा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अभ्यार्थियों एवं अन्य संस्थाओं से भी अंशदान प्राप्त किया जाता है एवं प्रशिक्षण /कार्यशाला/सम्मेलन के व्यय इस मद से किये जाते हैं। वर्ष में रूपये 87035/– का व्यय किया गया एवं वर्ष के अंत में इस कोष में रूपये 107646.00 का जमा शेष था।

7.4 AGM Fund

फैडरेशन द्वारा आलोच्य वर्ष में इस कोष का निर्माण किया गया है। विभिन्न सदस्य संस्थाओं द्वारा इस कोष में रूपये 187500/– का अंशदान जमा कराया गया। संस्था द्वारा रूपये 20000/– की राशि भी इस मद में जमा की गई। माह सितम्बर, 2014 में सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा में रूपये 147310.50 का व्यय हुआ जो इस कोष से किया गया। वर्ष के अंत में रूपये 60189.50 का जमा शेष रहा।

7.5 Promotional Fund & Development Fund

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था में ये दो कोष भी बने हुए हैं। इन दोनों कोषों में किसी प्रकार की प्राप्ति एवं भुगतान नहीं होने से गत वर्ष के अनुरूप ही इनमें जमा शेष थी जो क्रमशः रूपये 55781.50 एवं रूपये 381324.00 है। दोनों कोषों का उद्देश्य समान होने से यह सुझावित है कि इन दोनों कोषों को एक कर दिया जावे।

SHRUTI & ASSOCIATES
JAIPUR
Chartered Accountants

8. **वार्षिक सदस्यता शुल्क**

संस्था को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 878000 रूपये की राशि सदस्यों से प्राप्त हुई, जो कि संस्था की आय का मुख्य स्त्रोत है किन्तु वर्ष के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है/ निर्धारित शुल्क से कम राशि का भुगतान किया गया है। सदस्यों से शुल्क का भुगतान समय पर करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये जिससे कि संस्था के क्रिया कलापों के लिये समुचित राशि मिल सके। संस्था द्वारा वास्तविक प्राप्ति भुगतान आधार पर लेखे रखे जाने के कारण इन सदस्यों का बकाया शुल्क संतुलन चित्र में नहीं दर्शाया जाता है।

9. **बैंकों में जमाएं**

चालू वर्ष में संस्था की जमा एफडीआर रूपये 1889494/– की है जिसका मिलान कर भौतिक सत्यापन कर लिया गया है जबकि गत वर्ष ये जमाएं रूपये 1500000/– थी। इसके अतिरिक्त फैडरेशन के चालू खाते आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक, मोती डूंगरी रोड, जयपुर एवं फिनग्रोथ को–ऑपरेटिव बैंक, बापूनगर, जयपुर शाखाओं में हैं जिनमें वर्ष के अंत में क्रमशः रूपये 65298.00 एवं रूपये 90758.50 जमा थे जिनका मिलान कर लिया गया है।

10. **आय–व्यय खाते पर टिप्पणी**

ऑडिट वर्ष में संस्था को कुल रूपये 1060484.00 की राशि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई है जिसमें से रूपये 537092/– रूपये की राशि वेतन, टेलीफोन और यात्रा भत्तों पर व्यय की गई है। संस्था द्वारा वार्षिक साधारण सभा की बैठक एवं प्रशिक्षण मद में क्रमशः रूपये 20000/– एवं रूपये 30000/– का व्यय दर्शाते हुए इस उद्देश्य हेतु गठित फण्ड में राशि हस्तांतरित करते हुए उपयोग किया गया है। संस्था के कुल व्यय रूपये 762452/– हुए हैं तथा आय का व्ययों पर आधिक्य रूपये 298032/– रहा है जो गत वर्ष की तुलना में रूपये 23542.00 अधिक है।

11. **विशेष विवरण**

आलोच्य वर्ष के आय–व्यय खाते, संतुलन चित्र एवं संस्था के क्रियाकलापों के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था ने अपने आय के स्त्रोत बढ़ाने तथा अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के प्रयास किये हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। फैडरेशन को कमजोर बैंकों के प्रति अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वास्ते श्रुति एण्ड एसोसिएट्स

(श्रुति)

विषय क्रमांकः 7: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य विषय सं0 7.1. वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम लेखों की ऑडिट हेतु ऑडिटर की नियुक्ति बाबत।

फैडरेशन के वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतिम लेखों का ऑडिट गत आम सभा दिनांक 12–09–2014 के निर्णयानुसार सहकारी विभाग द्वारा जारी पैनल में से श्रुति एण्ड एसोसियेट्स, चार्टेड अकाउण्टेण्ट्स से कराया गया। सहकारी विभाग के निर्देशानुसार नामांकित चार्टेड अकाउण्टेण्ट लगातार दो वर्षों तक किसी सहकारी संस्था का ऑडिट कर सकता है अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम लेखों का ऑडिट कराने हेतु मैसर्स श्रुति एण्ड ऐसोसियेट्स की ही नियुक्ति हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सादर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।